भारतीय जनता पार्टी
झारखंड प्रदेश

Phone : 0651-2246377
Fax : 0651-2246399
Website : www.bjpjharkhand.org
E-mail : bjpjharkhand2@gmail.com

कार्यालय : डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन, एम-7, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची-834002

पत्रांक : 30/2025 दिनांक : 04/10/2025.

सेवा में ,

माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार।

विषय : बड़ाइक मोहल्ला, गुमला में रूपेश कुमार सिंह की रैयती जमीन में पिछले 23 दिनों से विशेष समुदाय के द्वारा स्थापित ताजिया को हटाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में।

महोदय,

श्री रूपेश कुमार सिंह, जो बड़ाइक मोहल्ला, गुमला शहर, जिला–गुमला के निवासी हैं, के द्वारा मेरे नाम प्रेषित आवेदन कृपया अवलोकनार्थ संलग्न है।

विगत 9 सितंबर को मोहम्मद साजिद अख्तर द्वारा रूपेश कुमार सिंह को यह ज्ञात हुआ कि उनकी गुमला शहर के वार्ड नंबर 14 आजाद बस्ती, रजा कॉलोनी स्थित उनकी पैतृक जमीन प्लॉट संख्या 79 रकबा 0.71 एकड़ में खाली परती पड़ी जमीन पर अहमद लेन, आजाद बस्ती, गुमला शहर निवासी मो. नसीम, मो. तफरेज, मो. सलीम, मो. कादिर, मो. नाजिर, मो. सरवर आलम, मो. जाहिद अंसारी, मो. आरिफ अंसारी, मो. सुहैल द्वारा लकड़ी, बांस से निर्मित मुहर्रम में घुमाए गए ताजिया को उनके उपर्युक्त जमीन पर ईंट का चबूतरा बनाकर स्थापित कर दिया गया है। इसमें एक नामजद आरोपी मो. आरिफ अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला गुमला का सचिव है। श्री रूपेश कुमार सिंह ने गुमला थाना में एफआईआर दर्ज कराते हुए अवैध जमीन पर कब्जा और अवैध धार्मिक निर्माण की विधिवत सूचना भी दी है।

दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि रैयत को घटना की सूचना देने वाले मो. साजिद को मुस्लिम समाज के चंद अगुवा लोगों के द्वारा जान से मारने तक की धमकी दी गई, शहर में खून खराबे की बात भी कही गई। स्थिति यह हो गई है कि 23 दिन बीत जाने के बाद भी रैयती जमीन से स्थापित ताजिया को हटाया नहीं गया है। प्रशासन भी मूकदर्शक बना हुआ है और शांति व्यवस्था भंग होने की बात कर ऐसे आपराधिक मामलों को तरजीह देने में जुटा हुआ है।

इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार तुष्टीकरण और वोट बैंक के चश्मे से अपराध और अपराधियों को देखती है, कार्रवाई सुनिश्चित करती है। राज्य के विभिन्न स्थानों पर आए दिन घट रही ऐसी सांप्रदायिक तुष्टीकरण की वारदातें जिसका प्रकार भले अलग हो लेकिन भाव सभी का एक ही होता है, में लगातार अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। अब तो राज्य का बहुसंख्यक हिंदू समाज यह समझने लगा है कि राज्य की सरकार उनकी जमीन, इज्जत–आबरू, बहन–बेटियों की सुरक्षा

क्रमशः पृष्ठ.....2

भारतीय जनता पार्टी
झारखंड प्रदेश

Phone : 0651-2246377
Fax : 0651-2246399
Website : www.bjpjharkhand.org
E-mail : bjpjharkhand2@gmail.com

कार्यालय : डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन, एम-7, हरमू हाऊसिंग कॉलोनी, राँची-834002

पत्रांक :.................................   दिनांक :...............................

प्रदान करने में पूरी तरह विफल है। आम जनता को अहसास हो रहा कि राज्य में बढ़ रही जेहादी मानसिकता जिसमें लव जिहाद, लैंड जिहाद, सभी शामिल है, ने राज्य सरकार के संरक्षण में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ाया है, जिससे सांप्रदायिक तनाव भी तेजी से बढ़ रहे हैं।

क्या राज्य सरकार की पुलिस इतने दबाव में है कि वो सच को सच नहीं कह सकती? अवैध कब्जे का अनुसंधान नहीं कर सकती? अवैध कब्जा करने वालों से पूछताछ भी नहीं कर सकती? आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती? तो फिर वर्दी पहनकर उसे लज्जित करने का पुलिस को न तो नैतिक अधिकार है, न संवैधानिक।

मैं राज्य सरकार की पुलिस से भी आग्रह कर रहा हूं कि वे अपनी वर्दी की ताकत को पहचाने, उसे कलंकित मत करें और कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को मत दें अन्यथा राज्य को अराजकता की स्थिति में जाने से फिर कोई नहीं रोक सकता।

प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बार–बार राज्य सरकार को आगाह किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन राज्य सरकार का टूल्किट बन गया। जबकि पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष और निर्भीक होना चाहिए।

मैं चाहूंगा कि उपर्युक्त अवैध कब्जा की जांच कराकर अविलंब रैयती जमीन को कब्जा मुक्त कराते हुए दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृति नहीं हो। अन्यथा भाजपा पूरे प्रदेश में बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

सादर,

भवदीय

(बाबूलाल मरांडी)
प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष

अनुलग्नक : यथोक्त

सेवा में,

श्री हेमंत सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री
झारखंड सरकार
रांची।

सेवा में,

माननीय नेता प्रतिपक्ष झारखण्ड विधान सभा
सह प्रदेश अध्यक्ष
झारखण्ड भा.ज.पा.
श्री बाबुलाल मरांडी जी।

विषय :– मेरे रैयती जमीन पर जबरन दिनांक– 05.09.2025 की रात्रि से 06.09.2025 के सुबह के बीच में मुस्लिम समुदाय के कुछ व्यक्तियों द्वारा जबरन ताजिया गाड़ देने पर मेरे हिन्दु समुदाय में आक्रोश होने एवं मुस्लिम समुदाय द्वारा शांति व्यवस्था बिगाड़े जाने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं रूपेश कुमार सिंह पिता स्व॰ नवल किशोर सिंह साकिन बड़ाईक मुहल्ला गुमला थाना वो जिला गुमला का निवासी हूँ। मौजा गुमला के आजाद बस्ती रजा कॉलोनी स्थित वार्ड नं0–14 में मेरे पूर्वजों का रजिस्टर्ड डीड संख्या– 277/1943 के द्वारा खाता नं0–27 प्लॉट संख्या–79 रकबा – 0.71 ए0 जमीन के अलावा और भी प्लॉट में जमीन है। प्लॉट संख्या–79 का रकबा– 0.71 ए0 जमीन में से लगभग 7–8 डिसमील जमीन परती पड़ा हुआ है। जिसे मेरे पूर्वज या मेरे द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिक्री नहीं किया गया है। अचानक मेरे घर में बिजली वायरिंग का काम करवा चुके ठेकेदार मो0 साजिद अख्तर के द्वारा दिनांक–06.09.2025 को सुबह लगभग 10:00 बजे मेरे घर आकर सूचना दिये कि मेरे उक्त परती जमीन पर अहमद लेन आजाद बस्ती गुमला के निवासी 1. मो0 नसीम पिता मो0 हनीफ 2. मो0 तफरेज पिता नामालूम (बी.एस.एन.एल. कर्मचारी) 3. मो0

सलीन पिता स्व॰ मो0 सफीक 4. मो0 कादिर 5. मो0 नाजिर दोनों पिता स्व॰ मो0 इदरिस 6. मो0 सरवर आलम पिता स्व॰ मो0 सलीम 7. जाहिद अंसारी पिता मो0 मनीर मास्टर 8. आरीफ असारी पिता स्व॰ जफीरुद्दीन अंसारी एवं 9. मो0 सुहैल पिता मो0 सलीम सभी साकिन जवरिया मुहल्ला अहमद लेन आजाद बस्ती गुमला थाना वो जिला गुमला के द्वारा मुहर्रम में घुमाया जाने ऊपर लकड़ी व बांस का बना ताजीया को मेरे जमीन के बीचो–बीच ईंट का [illegible] गाड़ दिया गया है। जिसकी सूचना मेरे हिन्दु समुदाय को भी हो गई है। इस घटना से आक्रोशित होकर मेरे हिन्दु समुदाय के लोग अविलंब विवादित ताजीया को हटाने के लिए धरना प्रदर्शन करने को कहने लगे परन्तु मैं शांति व्यवस्था बहाल रखे जाने हेतु अपने हिन्दु समुदाय का प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और मामला को शांत करने के लिए आजाद बस्ती अहमद लेन मुहल्ला के कथित सदर मो0 नसीम के घर सूचनाकर्त्ता साजिद अख्तर को लेकर गया परन्तु मो0 नसीम जान से मारने की धमकी दिया और कहा कि ताजीया को हटाने की बात करोगे तो खुन–खराबा हो जाएगा। मेरे द्वारा घटना की सूचना त्वरित रुप से लिखित आवेदन देकर गुमला थाना को दिया गया इस आवेदन में आरोपी संख्या–8 एवं 9 का नाम उस दिन सत्यापन के आभाव में नहीं दी गई थी जिसे इस आवेदन में आरोपी बनाया गया है परन्तु गुमला थाना प्रभारी राजनीतिक दबाव में आकर मेरे आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं किया क्योंकि आरोपी में से एक सदस्य आरीफ अंसारी झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का गुमला जिला समिति का सचिव है और इसी के पार्टी का विधायक गुमला विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित है। हाल का सूरत है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरे जमीन से विवादित ताजीया को नहीं हटाये जाने से मेरे हिन्दु समुदाय के शुभचिंतकगण घटना को लेकर

आक्रोशित हैं और इस घटना को लेकर जिला प्रशासन के विरूद्ध धरना प्रदर्शन कर सकते हैं।

अतः मेरे जमीन पर मुस्लिम समुदाय के उक्त व्यक्तियों के द्वारा ताजीया गाड़कर हिन्दु समुदाय की भावना को ठेस पहुँचाये जाने वालों के विरूद्ध अविलम्ब उचित कार्रवाई करते हुए मेरे जमीन से अविलम्ब विवादित ताजीया को हटाये जाने की कृपा की जाय, जिसके लिए सदा आभारी रहूँगा।

आपका विश्वासभाजन
रूपेश कुमार सिंह
11.9.2025
Mob No. 8409147724

सूचनार्थ :—

1. पुलिस महानिरीक्षक महोदय,
   द.छो. प्रमण्डल,राँची।
2. उपायुक्त महोदय,गुमला।
3. पुलिस अधीक्षक महोदय,गुमला
4. अनुमण्डल पदाधिकारी,गुमला।

छायाप्रतिलिपि संलग्न :—

1. रजिस्टर्ड डीड संख्या —277 / 1943
2. उपायुक्त गुमला का दिनांक—22.02.2021 का W.P.C. 6954/17 के आलोक में पारित आदेश।
3. मेरे जमीन पर गाड़ा गया ताजीया का फोटोग्राफ।
4. दिनांक 06.09.2025 को गुमला थाना में दिया गया आवेदन।

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

रु.5

RS.5

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND 03AA 575205

App. No. 2297

कुल तीन पृष्ठों में छाया प्रति संलग्न है

Date. 21-08-19

Deed No. 277/43

सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि

जिला अवर निबन्धक

दुमका

21/8/19

1-24-सी. 100=00

मुआईना मंजूर किया

पे(ii)iii 100=00

1-24-सी

अर्जेंट नकल मंजूर किया

150=00

350=00

जिला निबंधक का कार्यालय दुमका (झारखण्ड)

(कुल राशि तीन सौ पचास रु० मात्र)

Between ...

... Narayan Singh

... Catalo[?]

... Remainder

Sd/- Dhanu ... C ...

R.o

10/2/43

GJP (Regd.) 8—(4,599 Bks)—6,89,160—12-10-41. S2

[illegible] Endorsement	2. Central space for copy of documents (Twenty lines of fifteen words each.)	3. Right hand margin for [illegible]
[illegible] admitted by [illegible] Kishun Prasad [illegible] and by his [illegible] [illegible] Prasad Singh of [illegible] same place caste & profession whose thumb impressions are hereon affixed [illegible] & who are identified by Bageshwar Prasad son of Babu Ram [illegible] Prasad of the same place Kayastha, service who is personally known to me [illegible] Identified by me Bageshwar Prasad [illegible] Ranchi 15/8/43	[illegible]	
Lal Bhu[illegible] Sing, Ranchi 15/8/43.		

[illegible]

Pandey Tageshwar Ram ...

Copied from ... by
Bageshwar Prasad
Extra Clerk 17/2/43.

Compared by
Clerk 17/2/43

True Copy
Registering ... 17/2/43

Reader Compared by
Bh Chandi
21/08/19 21.8.19

1st Kanoongo Tahsil
Registering Officer 17/2/43.

Checked by Counted by
Bageshwar Prasad ... Clerk 17/2/43 Clerk 17/2/43

243

Sch. XIV—F. No. 180V.

रसीद मालगुजारी ।

नाम सर्कल । नाम मौजा मय थाना । नाम रैयत मय पट्टिदार जमाबन्दी । जो थाना नम्बर ।

गुआला	गुआलापुर	नवलकिशोर	855

मालगुजारी नकदी ।	मालगुजारी भावली ।	तफसील हिसाब जमाव मालगुजारी ।
2.92		

जोत का सालाना माँग मय तफसील (बकाया भो हाल) मौजूदा साल का ।

माँग बाबत ।	सालाना ।	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा ।	तीन वर्ष ।	1986	1987	हाल 1988
मालगुजारी (नकदी)	2.92			2.92	2.92	2.92
मालगुजारी (भावली)	0.95			0.95	0.95	0.93
	0.95			0.95	0.95	0.93
मीजान	2.82			2.82	2.82	2.93

तफसील अदायकारी ।

अदायकारी बाबत ।	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा ।	तीन वर्ष ।	1986	1987	मोआलबा हाल 1988	फाजिल
मालगुजारी (नकदी)			2.92	2.92	2.92	
मालगुजारी (भावली)			0.95	0.95	0.93	
			0.95	0.95	0.93	
मीजान अदायकारी			2.82	2.82	2.93	

(1) मीजान कुल (अक्षरों में)— [illegible]

(2) नाम देहिन्दा— [illegible]

(3) कुल बकाया—

दस्तखत और तारीख अमला तहसील मालिक ।

नोट— ... का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी ...) नहीं लिया जाता है ।

कार्यालय अंचल अधिकारी, गुमला

पत्रांक - 622(ii)
दिनांक - 6/5/2020

भूस्वामित्व प्रमाण-पत्र

हल्का कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित जमीन श्री [illegible] किशोर सिंह पिता स्वर्गीय किशोरी प्रसाद सिंह वो महेश्वरी प्रसाद सिंह वल्द स्व० ह्रदाईल [illegible] नारायण सिंह, मौजा, गुमला, थाना व जिला गुमला का रैयती [illegible] है तथा [illegible] जमीन [illegible] [illegible] [illegible] के नाम से कायम है।

जमीन का विवरण

मौजा	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
गुमला	27	17	?.45 एकड़
		65	1.26 "
		7?	?.71 "
		1514	[illegible] "
			[illegible] एकड़

गुमला

6/5/20

[illegible]

Annexure – C

26

16

आदेश

WP(C) No-6954/2017 मोसर्रत परवीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची के द्वारा पारित आदेश की अन्तिम पारा में निम्न आदेश दिया गया है:–

"In View thereof the Writ petition is disposed of directing the Deputy Commissioner Gumla to conduct an inquiry by personally visiting the spot (land in question) and take decision in accordance with law.

Needless to say that if any encroachment by making construction over the publice land has been erected, the Deputy Commissioner Gumla is also take appropriate decision in accordance with law so that the public land be secured"

1.अंचल अधिकारी गुमला के पत्रांक–1111 दिनांक–14.12.2019 के प्रतिवेदनानुसार मौजा गुमला के थाना नं0–59 खाता नं0–27 प्लॉट सं0 कमश: 17, 65, 79, 794, 1268, 1514 ,1532, एवं 1277 रकबा कमश: 0.45 एकड, 1.26 एकड, 0.71 एकड, 0.21 एकड़, 0.85 एकड़, 0.50 एकड, 1.13 एकड, एवं 1.01 एकड कुल रकबा–6.12 एकड का खतियानी रैयत जमादार खडिया वल्द विरसाई खडिया वो अंधरा खडिया वल्द काना खडिया के नाम से कायमी दर्ज है।

2.उक्त भूमि में से पट्टा सं0–1181 दिनांक–01.08.1941 को प्लॉट सं0–1277 रकबा–1.01 एकड भूमि को विशप कैथोलिक चर्च रॉची को कुर्मनामा छपरबंदी के द्वारा बिकी किया गया है।

3.खाता सं0–27 के प्लॉट सं0–1532 रकबा–1.13 एकड छोटानागपुर कैथोलिक मिशन कॉपरेटिव सोसाइटी केडिट, रॉची को निबंधित पट्टा सं0–4797 दिनांक–24.08.1955 को बिकी किया गया है।

4.भूतपूर्व जमीनदार बडाईक देवनन्दन सिंह के द्वारा कबूलियत पट्टा संख्या–277 / 1943 दिनांक–15.02.1943 के द्वारा किशोरी प्रसाद सिंह वल्द

(27)

…रसरी प्रसाद सिंह पेशरान भिखम नारायण सिंह को भूमि हस्तगत कर …ा गया।

5 प्लॉट संख्या–65 रकबा–1.25 एकड, प्लॉट नं0–79 रकबा–0.71 एकड विषयगत भूमि के जाँच के कम में पाया गया की खाता संख्या 27 से संबंधित प्लॉट संख्या–17 का खतियानी रकबा–0.45 एकड है। जबकि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,गुमला के न्यायालय द्वारा पारित आदेश में 0.95 एकड का जिक्र है इसी प्रकार प्लॉट संख्या–29 विषयगत खाता के अन्तर्गत दर्ज नही है,। विषयगत खाता संख्या–27 के अन्तर्गत प्लॉट संख्या–79 दर्ज है जिसका रकबा–0.71 एकड दर्ज है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला द्वारा दिनांक–03.07.2007 को पारित आदेश में खाता नं0–27 प्लॉट नं0–65 रकबा–1.26 एकड को छोड़कर अवशेष दो प्लॉट कमशः प्लॉट संख्या–17 रकबा–0.95 एकड का आदेश पारित है जिसमें वास्तविक रकबा मात्र–0.45 एकड है तथा प्लॉट नं0–29 विषयगत खाता के अन्तर्गत दर्ज नही है।

उक्त वाद में सन्निहित कुल रकबा–2.92 एकड भूमि, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के द्वारा सरकारी घोषित करने के निमित CNT Act. के तहत् विहार सरकार के प्रति स्वायत झारखण्ड सरकार के नाम पर कायम करने एवं भूमि की विधिवत अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव अंचल अधिकारी,गुमला को देने हेतु निदेश दिया गया है, तथा आवेदको के दावा आपत्ति को खारिज कर दिया गया है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला द्वारा उनके न्यायालय में दायर विविध वाद संख्या–03/2007 में पारित आदेश में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी वर्ष–1956 से वर्ष–1966–67 तक जमाबंदी जमादार खडिया वैगरह के नाम से निर्गत हुआ था, और जमादार खडिया …र्ष 1967 के बाद से नावल्द हो गये ऐसी स्थिति में किसी भी पक्ष को जमाबंदी कायम करना कानून सम्मत नही है भूमि का प्रबंध अंचल अधिकारी अपने स्तर से झारखण्ड सरकार के भूमि के रुप में करेगें।

भूमि सुधार गुमला द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उपायुक्त के न्यायालय में रिवीजन वाद संख्या–22/2007 एवं 28/2007 संबंधित पक्षों

(28)

के द्वारा दायर किया गया। उपायुक्त गुमला के न्यायालय द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थीगण के दावा आपत्ति को खारिज कर दिया गया। (28)

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि खाता नं0--27 के खतियानी रैयत जमादार खडिया वल्द विरसाई खडिया वो अंधरा खडिया वल्द काना खडिया के नाम से 6.12 एकड भूमि कायमी दर्ज है,जिसके विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के द्वारा विविध वाद संख्या--03/2007 में 2.92 एकड़ भूमि एवं तत्कालीन उपायुक्त गुमला के रिवीजन वाद संख्या--22/2007 एवं 28/2007 में 2.92 एकड भूमि से संबंधित आदेश पारित है, जबकि खतियान के अनुसार विषयगत प्लॉटों कमशः 65 एवं 79 का रकवां कमशः 0.45 एकड,1.26 एकड एवं 0.71 एकड कुल रकवा--2.42 एकड होता है,उक्त 2.42 एकड के अतिरिक्त कुल खतियानी रकबा--6.12 एकड में से शेष 3.70 एकड भूमि अन्य रैयतों के नाम से जमाबंदी कायम है।

प्रश्नगत भूमि को सरकारी घोषित करने में विहित प्रकिया का अनुपालन नही किया गया है।

J.B.C.J-2019(3) W.P(C)No-129 of 2016 Gopal Mishra VS State of Jharkhand and others में प्रतिपादित किया गया है कि लम्बे समय से कायम जमावंदी को रद्द करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। जिसका अनुपालन विविध वाद संख्या--03/2007 में नही की गई है साथ ही पंजी II के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न पृष्ठो के लिखावट एवं जमादार खडिया वगैरह की जमावंदी के लिखावट में भिन्नता है, जो संदेहास्पद प्रतीत होती है।

चूँकि जमादार खडिया वल्द विरसाय खडिया वो अंधरा खडिया वल्द काना खडिया की मृत्यु कब हुई है यह स्पष्ट नही है, जबकि वर्ष 1941 में [illegible] पट्टा एवं 1943 में निबंधित कबूलियत पट्टा द्वारा कुल [illegible] हस्तांतरित है।

[illegible] गुमला के पत्रांक 496/विधि दिनांक--10.08.2019 के द्वारा WP(C) No-6954/2017 मोसरंत परवीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में

29

दिनाक–01.07.2019 को पारित आदेश के आलोक में विषय--वस्तु की समीक्षा का सारगर्भित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

अपर समाहर्त्ता, गुमला के पत्रांक–18/रा0 दिनांक–04.01.2020 द्वारा विषय--वस्तु की समीक्षा कर मोसर्रत परवीन बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रतिवेदन उपायुक्त गुमला को उपलब्ध करायी गई है।(छाया प्रति संलग्न)

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मौजा गुमला के खाता नं0–27 प्लॉट सं0--17 रकबा–0.45, प्लॉट सं0–65–रकबा–1.26 एकड, प्लॉट सं0–79–रकबा–0.71 एकड प्लॉट–794 रकबा–0.21 एकड प्लॉट सं0–1268 रकबा–0.85 एकड प्लॉट सं0--1514 रकबा–0.50 एकड प्लॉट सं0–1532 रकबा–1.13 एकड प्लॉट सं0–1277 रकबा–1.01 एकड कुल रकबा–6.12 एकड भूमि आर0 एस0 खतियान में जमादार खडिया वगैरह के नाम से दर्ज है जो नावल्द हो गये। नावल्द होने के उपरान्त तत्कालीन जमीनदार बडाईक देवनन्दन सिंह के द्वारा प्रश्नगत भूमि को Assume कर लिया गया। तत्पश्चात तत्कालीन जमीनदार बडाईक देवनन्दन सिंह ने निबंधित कबूलियत पट्टा सं0–277/43 दिनांक–15.02.43 के द्वारा किशोरी प्रसाद सिंह वो महेश्वरी प्रसाद सिंह पेशरान भिखम नारायण सिंह साकिन गुमला को रैयती बन्दोबस्ती कर भूमि हस्तांतरण कर दिया गया। उसके बाद कुल खतियानी रकबा–6.12 एकड में से 3.70 एकड भूमि निबंधित पट्टा के माध्यम से विभिन्न रैयतों के नाम से हस्तांतरण होकर अंचल कार्यालय से दाखिल खारिज हुआ है, उन रैयतों का लम्बे समय से जमाबंदी चल रही है एवं शेष 2.42 एकड भूमि पर वर्त्तमान में भी विभिन्न रैयत निबंधित केवाला तथा एकरारनामा के आधार पर दखलकार हैं। चूँकि सर्वे खतियान में प्रश्नगत भूमि रैयत जमादार खडिया वगैरह के नाम से कायमी उल्लेखित है।

प्रभारी उप समाहर्त्ता
विधि शाखा गुमला

अपर समाहर्त्ता,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

सेवा में,

श्रीमान थाना प्रभारी
गुमला थाना ।

विषय :- मुस्लिम बहुल क्षेत्र में स्थित हमारे जमीन पर रातों रात ताजिया डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने एवं ताजिया हटाने को कहे जाने पर खून खराबा की धमकी दिए जाने पर कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं रुपेश कुमार सिंह उम्र - 50 वर्ष पिता स्व० नवल किशोर सिंह ग्राम- बड़ाएक मुहल्ला गुमला, थाना एवं जिला गुमला का निवासी हूँ। कहना है कि गुमला वार्ड नं० 14 रजा कॉलोनी गुमला जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ खाता नं० 27 प्लॉट नं० 79 रकबा 0.07 एकड़ परती जमीन जो मेरे उत्तराधिकारी हकियत से प्राप्त है उसमें कल दिनांक 05-09-2025 को रात्रि में उसी मुहल्ले के अगल बगल के लोग मेरी जमीन पर सरकारी जमीन बताकर मुहर्रम का ताजिया गाड़ दिए। इसकी सूचना मेरे शुभ चिंतक साजिद अख्तर के द्वारा आज दिनांक 06-09-2025 को लगभग 10 बजे दिन में दी गई और बताया गया कि इस घटना को अंजाम देने में (1) मो० नसीम पिता मो० हनीफ (2) मो० सलीम पिता स्व० मो० सफीक (3) मो० कादिर (4) मो० नाजिर दोनों पिता स्व० मो० इदरीश खान (5) मो० सरवर आलम पिता स्व० मो० सलीम

खान (6) मो० नफरेज पिता नामालूम (B.S.N.L. कर्मचारी) सभी निवासी पँवरिया मुहल्ला अहमद लेन रजा कॉलोनी गुमला (7) मो० जाहिद अंसारी पिता मो० मनीर मास्टर ग्राम रजा कॉलोनी गुमला का हाथ है। घटना की सूचना पाकर आज ही सुबह करीब 10.30 बजे साजिद अख्तर को साथ लेकर मो० नसीम के घर गया और ताजिया हटाने को कहा तब वह बोला कि वो मुहल्ला का मुहर्रम कमिटी का सदर है और मुस्लिम मुहल्ला में उक्त जमीन सरकारी है तुमलोगों का जमीन नहीं है, दुबारा ताजिया हटाने कहोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। वहाँ से आकर मैं अपने हिन्दू समाज में घटना की जानकारी दिया जिससे हमारे समाज में काफी आक्रोश हो गया है लेकिन शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए मैं कानून का सहारा लेते हुए श्रीमान के समक्ष यह आवेदन दिया हूँ।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि हमारे जमीन से अविलम्ब ताजिया को हटाते हुए धार्मिक उन्माद फैलाने वाले उपरोक्त नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु मुकदमा दर्ज करने की कृपा की जाए।

छायाप्रति संलग्न

(1) रजिस्ट्री पट्टा सं. [illegible]/43
(2) [illegible] स्वामित्व [illegible] पत्र
(3) दि० [illegible] का आयुक्त गुमला का आदेश
(4) ताजिया का फोटोग्राफ

आपका विश्वासभाजन
रूपेश कुमार सिंह
6.9.2025
मो०नं० – 8409147724